# नगर प्रशासन

## अध्याय-7

# CLASS VI CHAPTER 7 नगर प्रशासन (NCERT)

www.evidyarthi.in

- नगर निगम
- नगर पालिका
- नगर पंचायत
- पार्षद
- निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी

evidyarthi

# CLASS VI CHAPTER 7 नगर प्रशासन (NCERT)

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर निगम

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर निगम

- नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं इसके तीन प्राधिकरण हैं|
- यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा हो वहां यह पाए जाते हैं|

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

- यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कूड़ा इकट्ठा करने पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है।
- नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें।

evidyarthi

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर पालिका

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर पालिका

- यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है|
- यह एक शहर कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है|
- यह नगरपालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है इसमें जनसंख्या 20000 सेअधिक होती है किंतु यह महानगर नहीं होता |

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर पंचायत

- ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

## ❑ पार्षद

evidyarthi

www.evidyarthi.in

## ❑ पार्षद

- नगर निगम प्रशासन शहर को अलग-अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है|
- पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं|
- नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है|

https://www.evidyarthi.in

# CLASS VI CHAPTER 7 नगर प्रशासन (NCERT)

www.evidyarthi.in

- पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- मेयर के लिए आयु 30 आवश्यक है
- तीनो स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता हैऔर भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है।

evidyarthi

www.evidyarthi.in

- SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण OBC राज्य विधान मंडल के अनुसार आरक्षण अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते है संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य हो सकते है।

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

## ❑ निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी

- ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहां बनेगा |
- शहर को अलग-अलग वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है।
- कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेते हैं।

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

- जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं।
- जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त (कमिश्नर) और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं।

www.evidyarthi.in

## ❑ नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है?

1. निगम राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करता है।

• जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है।

https://www.evidyarthi.in

www.evidyarthi.in

2. निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है।

3.शिक्षा पर भी कर लगता,होटल पर कर, दुकान पर कर आदि।

https://www.evidyarthi.in